- आवेदन पत्र प्रारूप -

प्रति,

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
जिला भिण्ड (म.प्र.)

पासपोर्ट साइज
छायाचित्र
एवं प्रमाणित लगाये

1- पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है ....

2- आवेदक का नाम ....

3- पिता/पति का नाम ....

4- जन्मतिथि (अंको/शब्दो में) ....

5- दिनांक 01.07.2024 को आयु .... वर्ष.................माह.................दिन.................

6- जाति(सामान्य/अ.पि.वर्ग/अ.जा/अ.ज.जा.)..

7- वर्तमान पत्र (पत्र व्यवहार का पता)..

....

8- स्थायी पता ....

....

9-दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर ....

10-ईमेल आई डी (यदि हो तो) ....

11- रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....

12- अनुभव प्रमाण पत्र ....

13.- आर.सी.आई का पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....

क्र0	शैक्षणिक /तकनीकी अर्हता	बोर्ड /वि.विद्या. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

(सभी योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्रों का स्व.प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

दिनांकः- ....

(आवेदक के हस्ता0)

पूरा नाम ....

// घोषणा पत्र //

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, वह मेरे विवेकानुसार सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। किसी भी तथ्य के छुपाये जाने अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव संलग्न किये गये दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो मुझे सेवा से पृथक करने एवं दण्ड देने का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। मैं यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदित पद पर चयन होता है, तो मै जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र जिला भिण्ड में एक वर्ष की सेवाए अनिवार्य रूप से दूँगा/दूँगी इस सम्बन्ध का अनुबन्ध करने को तैयार हूँ।

(आवेदक के हस्ता0)

पूरा नाम..

पिताकानाम...

निवास का पता.......................................

दूरभाष क्रमांक ....

नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते :-

1. विज्ञाप्ति के बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक के समस्त पदो के लिये भारतीय पुनर्वास पदों परिषद परिसर आर.सी.आई का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्ष के लिये है, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के कारण बताओ सूचना पत्र एवं एक माह के मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01वर्ष के पश्चात सेवाए संतोषप्रद पाये जाने पर समिति द्वारा पुनः सेवा वृद्धि की जा सकती है।
3. उपरोक्त सभी पद एंकाकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होगें।
4. आवेदक की आयु दिनांक 01 जुलाई 2024 को 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 होगी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के आवेदको को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
5. आवेदक की आयु 01 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम नही होना चाहिये ।
6. संविदा पर नियुक्ति विषय विशेषज्ञ /कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
7. आवेदको संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्णतः अपनी पूर्ण जानकारी एंव समस्त दस्तावेजों का सलंग्न करना अनिवार्य होगा जो पठनीय हो अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसके आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन स्वयं निरस्त माना जावेगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
8. चयनित आवेदक को मुख्यालय पर ही रहना होगा। चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निस्पादित अनुबंध संविदा नियमो को पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 प्रभावशील होगा।
10. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में सलंग्न पाये जाने नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगा।
11. नियुक्ति विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियम या अनुदेशो के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निश्कर्श की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेगी।
12. संविदा नियुक्ति के पात्र पाये जाने पर चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल विवरण प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. आवेदक की संविदा नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित जिला चिकित्सालय के जिला मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ परीक्षण करवाकर अनिवार्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्ति प्रक्रिया :- चयन समिति मेरिट एंव साक्षात्कार के आधार पर की जावेगी।
15. प्राप्त आवेदनो की जॉच के पश्चात पात्र आवेदको की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी। जो आवेदक /आवेदिका पात्र नही होगा उन्हे पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

16. नियुक्ति के पश्चात पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यार्थी को चयनित किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची में एक पद के विरूद्ध दो आवेदको की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

17. मेरिट/साक्षात्कार की सूचना पत्र द्वारा जारी की जावेगी।

18. साक्षात्कार के समय आवेदक को मूल दस्तावेजो के उपस्थित होना अनिवार्य है दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।

19. उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समास्या /विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिला प्रबन्धनदल के अध्यक्ष/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एंव सर्वमान्य होगा।

20. सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत है । उक्त पद पर चयनित आवेदक का भविश्य में नियमिति करण किये जाने का काई दावा /वाद विवाद मान्य नही होगा।

विशेष नोट :- आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किये जावेगें।

09/07/24

उपसंचालक

सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

जिला-भिण्ड (म.प्र.)